भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1727

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 24 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

"विनिर्माण पहलू से संबंधित यांत्रिक त्रुटियों के कारण आग लगने की घटनाएं"

1727. डा. चंदन मित्रा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंभीर तकनीकी और यांत्रिक त्रुटियों सहित विनिर्माण पहलू पर विचार करते हुए वाहनों में आग लगने की घटनाओं की जांच करने के लिए कोई एजेंसी स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कार में आग लगने की कुल कितनी घटनाएं घटी हैं और इस तरह की आग लगने की घटनाओं में कुल कितने लोग मारे गए; और

(ग) वाहनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): जी, नहीं। विशेष रूप से वाहनों में आग लगने की जांच के लिए किसी एजेन्सी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत प्रावधान है कि ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर विनिर्माताओं के सिवाए मोटर वाहनों के सभी विनिर्माताओं के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु प्रमाण-पत्र देने के लिए उसके द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप उनमें विनिर्दिष्ट एजेंसियों में से किसी एजेन्सी के पास परीक्षण हेतु भेजना आवश्यक है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126ए के अनुसार परीक्षण एजेन्सियों, जिनका नियम 126 में उल्लेख किया गया है, के लिए विनिर्माता की उत्पादन श्रृंखला से लाए गए वाहनों का परीक्षण करना आवश्यक है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये वाहन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं, मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का अमल राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख): फिलहाल, दुर्घटना संबंधी आंकड़े यूनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फोर दि एशिया एण्ड दी पेसिफिक (यूएनईएससीएपी) की एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (एपीआरएडी) परियोजना के तहत एकत्र किये जाते हैं। इसमें कार में आग लगने तथा ऐसी आग के कारण मरे व्यक्तियों की संख्या के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): आग से सुरक्षा और आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकास के संबंध में बसों की विनिर्माणगत आवश्यकताओं का सक्षमता की दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है। सरकार ने ऑटोमोटिव विनिर्माताओं को इस मुद्दे पर संवेदनशील होने को कहा है। दि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने नियमित सर्विस के लिए आने वाले वाहन स्वामियों को एसेसरीज का अनाधिकृत फिटमेंट कराने और/या उच्चतर वैटेज बल्ब के प्रयोग से वायर खोल को होने वाली हानि से संभावित आग के खतरे के बारे में जानकारी देने के लिए अपने अधिकृत डीलरों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया है।

ऑटो ईंधन दृष्टिकोण और नीति 2025 पर विशेषज्ञ समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संस्तुति की है कि बीएस IV डीजल के लिए फ्लैश प्वाइंट को 38 डिग्री सेन्टीग्रेट तक तथा बीएस V डीजल के लिए फ्लैश प्वाइंट को 42 डिग्री सेन्टीग्रेट तक संशोधित कर दिया जाए।

*****